

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 फरवरी 2011—माघ 20, शक 1932

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2011

फा. क्र. 84 (1)-वि. निर्वा.-2011-चार-26.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 576/EXIT/2011/SDR दिनांक 2 फरवरी 2011 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है.

प्रेम चन्द मीना, प्रमुख सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 2 फरवरी 2011

अधिसूचना

सं 576-ई एक्स आई टी-2011-एस.डी.आर.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 क की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए आयोग एतद्वारा दिनांक 10-02-2011 को पूर्वाह्न 08.00 बजे से दिनांक 14-02-2011 को अपराह्न 05.00 बजे तक के समय को ऐसे समय के रूप में अधिसूचित करता है, जिसके दौरान किसी निर्गम मतानुमान का संचालन करना या इसका प्रचार करना जो कुछ भी हो, झारखण्ड में 57-खरसावाँ (अ. ज. जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में 59-संजारी बालोद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात में 75-खाडिआ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से, मणिपुर में 18-कोन्थाऊजम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र तथा मध्यप्रदेश में 198-कुक्षी (अ. ज. जा.) एवं 170-सोनकच्छ (अ. जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से आयोग के दिनांक 12-01-2011 के प्रेस नोट द्वारा आख्यायित किसी निर्गम मतानुमान के परिणाम पर रोक लगा दी जाएगी.

यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी मत सर्वेक्षण या किसी अन्य मत सर्वेक्षण के परिणाम सहित, निर्वाचन से संबंधित किसी भी सामग्री का प्रदर्शन करने पर मतदान की समाप्ति के लिये निर्धारित किए गए समय से पहले के 48 घंटों की अवधि के लिये रोक लगा दी जाएगी.

आदेश से,

हस्ता./-

(के. एफ. विल्फ्रेड)

सचिव.

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 2<sup>nd</sup> February, 2011

## NOTIFICATION

No. 576-EXIT-2011-SDR.—In exercise of the powers under sub-section (1) of Section 126A of the Representation of the People Act, 1951, and having regard to the provisions of sub-section (2) of the said Section, the Commission hereby notifies the period between 8 A. M. on 10-02-2011 and 5.30 p.m. on 14-02-2011 as the period during which conducting any exit poll or disseminating in any manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the current bye-elections announced vide the Commission's Press Note dated 12-1-2011, from 57-Kharsawan (ST) Assembly Constituency in Jharkhand, 59-Sanjari Balod Assembly Constituency in Chhattisgarh, 75-Khadia Assembly Constituency in Gujarat, 18-Konthoujam Assembly Constituency in Manipur and 198-Kukshi (ST) & 170-Sonkatch (SC) Assembly Constituencies in Madhya Pradesh, would be prohibited.

It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the Representation of the People Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hour fixed for conclusion of poll.

By order,  
Sd./-  
(K. F. WILFRED)  
Secy.